

प्रेस नोट

दिनांक: 12.10.2026

सोशल मीडिया पर महिला परिचालक की निजी फोटो/वीडियो प्रसारित कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

बहराइच डिपो में कार्यरत महिला परिचालक द्वारा दिनांक 23.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि अमन श्रीवास्तव पुत्र मनोज श्रीवास्तव, निवासी मालवीय नगर, जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 20.09.2026 को उनकी निजी फोटो/वीडियो सोशल मीडिया एवं विभिन्न व्हाट्सऐप ग्रुपों में प्रसारित की गई। आरोप है कि उक्त सामग्री उनके रिश्तेदारों, पति, भाई-बहन, मकान मालिक तथा परिवहन विभाग से संबंधित ग्रुपों में भी साझा की गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा उनके इंचार्ज के साथ गाली-गलौज कर उन्हें नौकरी से हटाने एवं ड्यूटी न देने के लिए धमकाया गया तथा वादिनी को लगातार मैसेज भेजकर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 877/2026 धारा 352, 351(3), 64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66E आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अति0 प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव मय हमराह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के मालवीय नगर स्थित घर पहुंचकर उसे घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी में घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन VIVO Y28s 5G बरामद हुआ, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- अमन श्रीवास्तव पुत्र मनोज श्रीवास्तव, निवासी मालवीय नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा। स्थायी पता- ग्राम भरह हरसिंगवा, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 877/2026, धारा 352, 351(3), 64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66E आईटी एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 01 अदद मोबाइल फोन VIVO Y28s 5G।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अति0 प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. हे0का0 सुरेश कुमार।
3. का0 बृजमोहन लोधी।

मीडिया सेल, गोण्डा।